



UPRB010016572026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, रायबरेली।

उपस्थित:- गुणेन्द्र प्रकाश (एच०जे०एस०)

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या-348/2026

मधुरेश यादव बनाम उ०प्र० राज्य

मुकदमा अपराध संख्या-14/2026

अन्तर्गत धारा- 2/3 यू०पी० गैंगस्टर एक्ट

थाना-भदोखर, जिला रायबरेली।दिनांक-11.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त मधुरेश यादव की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा धनराशि जमानत सुनिश्चित करने हेतु प्रार्थना पत्र समर्थित शपथ पत्र पैरोकार श्रीमती राबेश द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र में यह वर्णित है कि प्रार्थी/अभियुक्त मधुरेश यादव की जमानत माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री राजीव भारती जी द्वारा दिनांक 26.02.2026 को स्वीकृत की जा चुकी है। जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 1413/2026 है। उक्त अपराध के जमानत आदेश की प्रमाणित प्रति माननीय महोदय के अवलोकनार्थ एवं अनुपालनार्थ दाखिल की जा रही है। अतः माननीय महोदय से प्रार्थना है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित जमानत आदेश के अनुपालन में प्रार्थी/अभियुक्त के कम से कम जमानत धनराशि के जमानत बन्ध पत्र दाखिल कराये जाने हेतु आदेश न्यायहित में पारित करने की कृपा करें।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश को कम्प्यूटर अनुभाग से सत्यापित कराया गया, कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा उक्त आदेश उपलब्ध होने की आख्या दी गयी।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा क्रिमिनल मि० बेल संख्या 1413/2026 मधुरेश यादव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांकित 26.02.2026 के अनुपालन में अभियुक्त द्वारा मु०-1,00,000/-रु० (एक लाख रुपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल किए जाने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांकित 26.02.2026 में वर्णित शर्तों के अधीन अभियुक्त मधुरेश यादव को जमानत पर रिहा किया जाता है।

(गुणेन्द्र प्रकाश)

अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम/

विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, रायबरेली

(JO CODE-UP6443)